

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख 6/4/21

435
2018

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

6/4/21

पत्रावलीया प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि उभयपक्षों के मध्य आपसी सहमती से राजीनामा हो गया था जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक ही कर दिया गया था किन्तु उक्त राजीनामे के आधार पर निर्णय नहीं करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक रूप से एवं अन्तिम रूप से प्रकरण का निर्णय कर दिया गया उक्त दोनों निर्णयों के विरुद्ध दो भिन्न-भिन्न अपने इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | अधिवक्ता उभयपक्ष ने इस न्यायालय के समक्ष भी आज उपस्थित होकर निवेदन किया कि पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार निर्णय हेतु सहमत है इसलिये पक्षकारान के मध्य विवाद एवं प्रकरणों के समाप्ति हेतु पक्षकारान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है अतः निर्णय व डिक्री जैर अपीले निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे |

206.402
6/4/21

Naval Adv.
1, 2, 3.

HR. C
2018



चूँकी प्रकरण की इस स्टेज पर उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार प्रकरण के निस्तारण हेतु सहमत है अतः प्रकरण के गुणावगुण पर कोई परीक्षण किये बगैर मात्र उभयपक्षों की सहमती के आधार पर निर्णय व डिक्री जैर अपील क्रमशः दिनांक 30/11/2006 व 19/09/2007 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामे पर पक्षकारान की सुनवाई कर राजीनामे को मध्य नजर रखते हुये पुनः निर्णय पारित करे | तदनुसार दोनों अपीले क्रमशः 402/2018 एवं 435/2018 निर्णित की जाती है |

पत्रावलीयां फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 6/4/21 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

Jain
राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर